

प्रेसनोट दिनांक 19.11.2023

1. दिनांक 18.11.23 को वादी उ०नि० श्री हरिशंकर राय थाना को०अयोध्या अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि धर्मवीर मिश्रा पुत्र रामजी मिश्रा नि० कलाफरपुर थाना रौनाही अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 01 एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 650/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 18.11.23 को वादी उ०नि० श्री दिवाकर पाण्डेय थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मुन्ना निषाद पुत्र रतिराम नि० मदरिहा रामपुर पुआरी थाना महाराजगंज अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 344/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 18.11.23 को वादी उ०नि० श्री भानूप्रताप शाही थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि संतोष यादव पुत्र भागीरथी यादव नि० मजरूद्दीनपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 01 एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 598/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 18.11.23 को वादी उ०नि० श्री अनन्त प्रताप सिंह थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजेन्द्र पुत्र काशीराम नि० तोरोमाफी दराबगंज थाना को०बीकापुर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 599/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 18.11.23 को वादी उ०नि० श्री शीतला प्रसाद मिश्रा थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि बब्लू पुत्र छोटेलाल नि० शंकरपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 600/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 18.11.23 को वादी उ०नि० श्री अनन्त प्रताप सिंह थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि जयपाल पुत्र दर्शन निषाद नि० दराबगंज थाना को०बीकापुर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 601/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 18.11.23 को वादी निर० श्री जनार्दन सिंह थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मन्नू पुत्र कुन्दन उर्फ माता प्रसाद नि० दराबगंज थाना को०बीकापुर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 602/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।